पत्रांक– का० प्र०/विविध–07/2019– 4700

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31-05-19

विषयः– कार्य प्रमंडलों के कार्य बिपत्र से विभिन्न प्रकार की कटौतियों को कोषागार स्तर पर पुस्त अंतरण हेतु लेखा – शीर्ष विहित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CFMS के पूर्व कार्य प्रमंडलों द्वारा संवेदकों के विपत्रों से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कटौतियों को पार्ट फाईल में रखा जाता था एवं मासिक लेखा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रेषित किया जाता था। संवेदक को भुगतान हेतु नेट राशि का चेक निर्गत किया जाता था। CFMS के अंतर्गत चेक के स्थान पर विपत्र से राशि निकासी का प्रावधान किया गया है। इसमें सेवा शीर्ष में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध विपत्र तैयार किया जायेगा तथा संवेदकों के बैंक खाते में क्रेडिट की जायेगी। अब संवेदकों को किये जाने वाले भुगतान हेतु सकल राशि का विपत्र तैयार किया जायेगा और इसके साथ विभिन्न प्रकार की कटौतियों/वसूलियों की अनुसूची भी तैयार की जायेगी। सकल राशि से की गयी कटौतियाँ कोषागार स्तर पर संबंधित लेखा शीर्ष में पुस्त अंतरण द्वारा क्रेडिट हो जायेगी। इस हेतु वित्त विभाग द्वारा नये लेखा शीर्ष खोले गये हैं जिसमें निम्नांकित प्रकार की कटौतियाँ/वसूलियाँ को बुक ट्रांसफर द्वारा जमा किया जायेगा।

1. 8443 00 108 0001 – PWD Deposit work – लोक निर्माण विभाग – कार्य जमा
2. 8443 00 108 0002 – PWD Penalty – जुर्माना
3. 8443 00 108 0003 – PWD Security – प्रतिभूति
4. 8443 00 108 0004 – Labour Cess – श्रम उपकर
5. 8443 00 108 0006 – Royalty (MD) – रॉयलिटी (एम.डी.)
6. 8443 00 108 0007 – Extension of time – अवधि विस्तार
7. 8443 00 108 0008 – Miscellaneous – विविध

H.N.77

उपर्युक्त शीर्ष में राशि जमा करने हेतु विषय शीर्ष 0001 – प्राप्ति तथा राशि निकासी हेतु विषय शीर्ष 0002 – भुगतान विहित किया गया है। विपत्र तैयार करते समय कार्यप्रमंडल सावधानीपूर्वक कटौती/वसूली के मद के अनुसार लेखा शीर्ष का चयन करेंगे। कटौती/वसूली की गयी राशि क़ी आवश्यकतानुसार वापसी हेतु चेक के स्थान पर विपत्र द्वारा राशि की निकासी ई–बिलिंग मोड्यूल में की जायेगी तथा संवेदकों के खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा। जिस मद के लिए कोई लेखा शीर्ष विहित नहीं है उसे विविध शीर्ष में जमा किया जायेगा। इन लेखा शीर्षों पुस्त अंतरण के अतिरिक्त चालान के माध्यम से भी चेक/ड्राफ्ट से राशि जमा की जा सकती है। चेक/ड्राफ्ट से प्राप्त राशि को भी जमा कराया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

H.N.78